

(34)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा
कि इसी अन्व पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे समिधा हो।



ग्राम : गृहीतसिंही
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बन्धता/2013/ 307

दिनांक: 10/05/13

07532-242086

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध पंश्यामाचरण उपाध्याय ज्ञानविद्यालय जौय रोड मुरैना () को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.एस.-सी प्रथम अधिविषय-(भौतिक, गणित, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोवायोलॉजी एम.एस.-सी.प्वार्क्स-सायन बी.बी.ए. तृतीय वर्ष बी.सी.ए. तृतीय वर्ष, पाठ्यक्रम/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्वांत विभागुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

- (1) प्रो. बाय.के जैसवाल, आचार्य जैव रसायन अ.शा. जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक) (9407208314)
- (2) प्रो. ओ.पी. मिश्रा, आचार्य, गणित, अ.शा. जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) प्रो. सुविज्ञा अवस्थी, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अ.शा. जी.वि.वि.ज्ञा.जैवर
- (4) प्रो. एस.के. गुप्ता, उपाचार्य, कम्प्यूटर साइंस अ.शा. जी.वि.वि.ग्वालियर

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रगाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्टिनेस तथा पिछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 50 (अ-अ-2) पर लिये गये विभागुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिव में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कावालिय ने निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यगाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जावे वाली अस्थायी सम्बद्धता में दिलच्छ नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के विरेण्डों का पालन सुविधित किया जा सकेंगा।

गठक के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमाबुसार अर्थाद जमा कराकर बचीन समिति गतिकी जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विद्या दात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यात् अधीक्षक / दार्शनिक सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेव गहाविद्यालय द्वारा देय होगा।

3mm/5
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि निरीक्षित के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करावे की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)